संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंममतल सतपुड़ा भवन भोपाल

कंमाक–4/एम.आर./2014/389 भोपाल, दिनांक 11/2/2014

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग
ग्वालियर म.प्र.।

विषयः– म.प्र. भवन नई दिल्ली की स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार पर हुये व्यय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर द्वितीय अभिमत दिये जाने विषयक।

—000—

उपरोक्त विषयान्तार्गत अपर आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, चाणक्यपुरी नई दिल्ली द्वारा पत्र कमांक 133/म.प्र.भ./2014 दिनांक 15/01/2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. भवन नई दिल्ली में शासकीय चिकित्सक नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक जिन में लम्बी बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक भी सम्मिलित होते है संचालनालय को द्वितीय अभि.त हेतु भेजे जाते है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ 9–9– 2013–सत्रह– मेडि–1. भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में संशोधन किये गये है। तदानुसार रूपयें 25000/– तक के चिकित्सा देयक पर द्वितीय अभिमत संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दिया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. भवन नई दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कराये गये उपचार के रूपयें 25000/– तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पर परीक्षण करने के उपरांत म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कटोत्रा योग्य राशि आदि कम करने के उपरांत प्रतिपूर्ति योग्य राशि की स्वीकृति हेतु द्वितीय अभिमत आपके द्वारा प्रदान किया जायेगा। यदि चिकित्सा देयक रूपयें 25000/– से अधिक राशि के है तो इन चिकित्सा देयकों का परीक्षण कर इनकी प्रतिपूर्ति के संबंध में अपना अभिमत अंकित करते हुये उक्त देयक स्वीकृति हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित किया जाये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन चिकित्सा देयकों का निराकरण समय अवधि में निर्धारित किया जायें।

(डॉ0 के0एल0साहू)
संचालक स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कंमाक–4/एम.आर./2014/ भोपाल, दिनांक / /2014

प्रतिलिपिः–

1. अपर आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, 2, गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यापुरी नई दिल्ली की ओर आपके पत्र कमांक 133/म.प्र.म./2014 दिनांक 15/01/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(डॉ0 के0एल0साहू)
संचालक स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Mp bhavan new delhi secod oppinion letter (10-02-14-).doc

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–4/एम.आर./2014/ 387 भोपाल, दिनांक 11/2/2014

प्रति,

अपर आवासीय आयुक्त,
म.प्र. भवन,
2, गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यापुरी
नई दिल्ली।

विषयः– म.प्र. भवन नई दिल्ली की स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार पर हुये व्यय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर द्वितीय अभिमत दिये जाने विषयक।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 133/म.प्र.भ./2014 दिनांक 15/01/2014

—000—

उपरोक्त विषय संदर्भ में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. भवन नई दिल्ली में शासकीय चिकित्सक नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक जिन में लम्बी बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक भी सम्मिलित होते है संचालनालय को द्वितीय अभिमत हेतु भेजे जाते है। तथा इन देयकों के निराकरण में अत्याधिक विलम्ब भी होता है।

उक्त असुविधा दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क. एफ 9–9– 2013–सत्रह– मेडि–1. भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में रूपयें 25000/– तक के चिकित्सा देयक पर द्वितीय अभिमत संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा दिया जायेगा।

अतः आगे से म.प्र. भवन नई दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियें तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कराये गये उपचार के समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर को भिजवाने का कष्ट करें। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर द्वारा रूपयें 25000/– तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पर परीक्षण करने के उपरांत म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कटोत्रा योग्य राशि आदि कम करने के उपरांत प्रतिपूर्ति योग्य राशि की स्वीकृति हेतु द्वितीय अभिमत प्रदान किया जायेगा। यदि चिकित्सा देयक रूपयें 25000/– से अधिक राशि के है तो इन चिकित्सा देयकों का परीक्षण कर इनकी प्रतिपूर्ति के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर द्वारा स्पष्ट अभिमत अंकित कर उक्त देयक स्वीकृति हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित जायेंगे।

अतः भविष्य में म.प्र. भवन नई दिल्ली में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक द्वितीय अभिमत हेतु संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर को भेजने का कष्ट करें।

(डॉ0 के0एल0साहू)
संचालक स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–4/एम.आर./2014/ भोपाल, दिनांक / /2014

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपप्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ कैम्प म.प्र. भवन, चाणक्य पुरी नई दिल्ली की ओर सुचनार्थ।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश